



मध्यप्रदेश राजापत्रा

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019—आषाढ़ 14, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2019

अधि. क्र. 10-एफ-1-35-2019-अठारह-3.—नगर परिषद् नरवर, जिला शिवपुरी की परिषद् का कार्यकाल दिनांक 12 फरवरी 2018 को समाप्त होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 346 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर परिषद्, नरवर में प्रशासक नियुक्त किया गया है।

प्रशासकीय कारणों से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, नगर परिषद् नरवर, जिला शिवपुरी में नियुक्त प्रशासक के स्थान पर निम्नानुसार प्रशासनिक समिति नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पद (3)
1.	श्री सगीर अहमद खान, पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नरवर रेस्ट हाउस के पास, वार्ड-11	अध्यक्ष
2.	श्री अजय भार्गव, पत्रकार, वार्ड-4, नरवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रेमनारायण कुशवाह, समाज सेवी, वार्ड-2, नरवर	सदस्य
4.	श्री दीनदयाल जाटव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वार्ड-11	सदस्य
5.	श्री शतीष चौधरी, पूर्व पार्षद, वार्ड-5, नरवर	सदस्य

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव।